

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 2016/फालान 15, 1937

No. 148]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 2016/PHALGUNA 15, 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 280(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उसका संबंध सांख्यिकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में सांख्यिकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यिकी सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

- 5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |
- . 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं |

अनुसूची

	पद का	पदों की	वर्गीकरण	वेतन बैंड,	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु
	नाम	संख्या	111021	ग्रेड वेतन	अथवा	सीमा
	., ,		-	या	अचयन	XIIVII
				वेतनमान	पद	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स	ांख्यिकी	02*	साधारण	वेतन बैंड-1;	लागू	18 और 25 वर्ष के बीच
	।।।७यक। हायक	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वतन बड-1; वेतनमान 5200- 20200 रू. + ग्रेंड वेतन 2800 रू.	नहीं होता	18 आर 25 वर्ष क बाच (केंद्रीय सरकार द्वारा पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
		•				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं	
	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू	9
,	होंगी या नहीं	
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं होता	दो वर्ष
से किसी भी विषय में स्नातक जिसमें		
एक विषय सांख्यिकी या गणित हो,	•	,

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या	
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने	
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा –	लागू नहीं होता
टिप्पण :- किसी पदधारी की प्रतिनियुक्ति या	
लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी	
अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे	y .
अधिक की अवधि के लिए कारित रिक्तियाँ	
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से	y .*
प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी,	
(क) जो मूल काडर या विभाग में	
नियमित आधार पर सदृश पद धारण	
किए हुए हों; और ,	
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए	
जाने वाले व्यक्तियों के लिए वि <u>हि</u> त	
शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक
	सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	· (13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता।
1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष	
2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	
3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल – सदस्य	

[फा. सं. ए. 11018/24/2004- भर्ती नियम] संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2016

- G.S.R. 280(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital (Class III posts), Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Statistical Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Assistant in the Safdarjung Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Statistical Assistant (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.- No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Number of posts		Classification	Pay band and grade pay	Whether selection post or non-
post			or pay Scale	selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Statistical Assistant	02* (2016) * Subject to variation dependent upon the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB 1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years.	Bachelors Degree in any discipline with Statistics or Mathematics
	as one of the subject from a recognized University
(Relaxable for departmental candidates up to forty	
years in accordance with the instructions or orders	"
issued by the Central Government)	
· ·	
Note : The crucial date for determining the age	
limit shall be the closing date for receipt of	

applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

Turner 1		
Whether age and educational	Period of probation, if	Method of recruitment, whether by direct
qualifications prescribed for direct	any	recruitment or by promotion or by deputation/
recruits will apply in the case of	-	absorption and percentage of the vacancies to be
promotees		filled by various methods
F		inited by various memous
		* * *
		4
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment
11 11	*	
		Note: Vacancies caused by the incumbent being
		away on deputation or long illness or study leave or
		under other circumstances for a duration of one year
		or more may be filled on deputation basis from
	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		officers of the Central Government:-
£		(a) holding analogous post on regular basis in
		the parent cadre or department; and
-		(b) possessing the qualifications and
		experience prescribed for direct recruits
		under column (7)

	, the state of the	
In case of recruitment by promotion or by	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
deputation/ absorption grades from which	what is its composition	which Union Public
promotion or deputation /absorption to be		Services Commission
made	*	is to be consulted in
		making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.		Not applicable.
	Group 'C' Departmental Confirmation	
	Committee (for considering confirmation)	-
	consisting of:-	
y 1	(1). Additional Medical Superintendent,	2
-	Safdarjung Hospital, New Delhi	i.
	—Chairman	
	(2). Deputy Director Medical Hospital,	
	Directorate General of Health Services	
	Member	
	(3). Deputy Director (Administration)	
	Safdarjung Hospital, New Delhi	
	—Member	

[F. No. A.11018/24/2004-RR] SANJAY PANT, Under Secy.

successfully completed the training of twofour weeks shall also be considered along with outside officers and in case, such person is selected, the post shall deemed to have filled by promotion. Note 2: The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceeding appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age limit for

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 5 (1)/2012-Estt.-I/SPG/4415] SUBHAJIT ROY, Dy. Director/Head of Office

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2018

- सा.का.नि. 64.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यकी सहायक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-
- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यकी सहायक (समूह 'ग') (संशोधन) भर्ती नियम, 2017 है |
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |
- 2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, सांख्यकी सहायक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2016 में,-
- (क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-
- " 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स मे स्तर या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|"
 - (ख) अनुसूची में,-
- (i) स्तंभ 2 और उससे संबंधित प्रविष्टयो के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी,

अर्थात :-

" पदों की संख्या	
(2)	
01* (2017)	
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।''	

(ii) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टयो के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4) स्तर - 5 (29200-92300/रू)."

[फा. सं. ए.11018/24/2004 - एम एच 2/भर्ती नियम]

जी. ए. रघुवंशी, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि.280 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2016 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किऐ गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th February, 2018

- G.S.R. 64.-- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Statistical Assistant (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2016, namely:-
- Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Statistical Assistant (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Statistical Assistant (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2016,-
 - (a) for rule 2, the following shall be substituted, namely: -
 - "2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.- The number of the post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";
 - (b) in the Schedule,-
 - (i) for column 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Number of posts.	
(2)	
01* (2017)	
*Subject to variation dependent upon workload.";	

(ii) for column 4 and the entries realting thereto, the following shall be substituted, namely:-

	"Level in the pay matrix.
>	(4)
	Level – 5 (Rs. 29200-92300/-)".

[F. No. A. 11018/24/2004-MH II /RR]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 280(E), dated the 4th February, 2016.

Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.03 KUMAR 15:38:11 +05'30'